

न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गर्वी, इलाहाबाद

मूलवाद संख्या-667/2018

चन्दन भट्टाचार्या व अन्य बनाम सपन भट्टाचार्या

दि0-20-02-2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पत्रावली आदेशार्थ प्रार्थना पत्र 6ग हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 03 सी0पी0सी0 मय शपथपत्र 7ग इस आशय का दिया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी को अस्थायी/अन्तरिम व्यादेश वर्जित कर दिया जावे कि वह जब तक विवादित सम्पत्ति मकान नम्बर 127 नया, जिसका पुराना नम्बर 102 है, स्थित आजाद स्क्वायर साउथ मलाका, इलाहाबाद जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र के नीचे सिस्तार से अंकित है, में वादीगण का 3/4 अंश बंटवारा करके उसकी अलग चौहद्दी कायम कर उस पर वादीगण को तनहा काबिज दखील करा दिया जावे, तब तक प्रतिवादी विवादित मकान में अपना जुज हिस्सा 1/4 को वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी के हक में न तो संक्रमणित करे, और न ही उसमें किसी किस्म की तोड़-फोड़ अथवा निर्माण करे। मौके की स्थिति एवं नवैयत को यथावत कायम रखे।

शपथपत्र 7ग के जरिये वादीगण द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि मकान नं0 102 पुराना, जिसका नया नम्बर 127 है, स्थित मोहल्ला आजाद स्क्वायर साउथ मलाका के मालिक काबिज व दखील स्व0 विमल चन्द्र भट्टाचार्या रहे, जिनका देहान्त हो गया, और उनके विधिक वारिसान एवं प्रतिनिधि उनके दो पुत्र तरुण कुमार भट्टाचार्या व तपन कुमार भट्टाचार्या हुए, प्रत्येक का उसमें आधा-आधा भाग हुआ। तपन भट्टाचार्या का देहान्त दिनांक 14-09-2013 को हो गया, और उन्होंने मरते समय अपनी पत्नी दिपाली भट्टाचार्या व दो पुत्र चन्दर भट्टाचार्या व सपन भट्टाचार्या को अपना विधिक वारिस एवं प्रतिनिधि छोड़ा। बादहू दिनांक 26-11-2017 को दिपाली भट्टाचार्या का भी देहान्त हो गया, और तपन भट्टाचार्या के आधे भाग के स्वामी चन्दन भट्टाचार्या व सपन भट्टाचार्या हुए, और दोनों का विवादित मकान में अलग-अलग 1/4 भाग तपन भट्टाचार्या के वारिस की हैसियत से हुआ। तरुण भट्टाचार्या जो विवादित मकान के 1/2 भाग के स्वामी थी, की पत्नी अंजना भट्टाचार्या का देहान्त दिनांक 20-10-2013 को हो गया, और तरुण भट्टाचार्या ने अपने जीवन काल में दिनांक 12-09-2014 को एक पंजीकृत वसीयत अपने भतीजे चन्दन भट्टाचार्या व उसकी पत्नी नीतू भट्टाचार्या के हक में लिख दी थी। तरुण भट्टाचार्या का देहान्त दिनांक 07-11-2015 को हो गया, और वसीयतनामा दिनांक 12-09-2014 के आधार पर उनके विवादित मकान में आधे हिस्से के मालिक चन्दन भट्टाचार्या व नीतू भट्टाचार्या वादीगण सं0 1 व 2 बराबर-बराबर हुए, और प्रत्येक का तरुण भट्टाचार्या के वारिस के तौर पर सम्पूर्ण मकान में 1/4 भाग अलग हो गया। इस प्रकार वादीगण का विवादित मकान में 3/4 अंश हुआ और है। वादी एवं

प्रतिवादी के बीच अक्सर जलकर, गृहकर के भुगतान एवं बिजली आदि के खर्च एवं मरम्मत को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादीगण अब अपना 3/4 अंश विवादित भवन में प्रतिवादी के साथ नहीं रखना चाहते, और प्रस्तुत दावा बंटवारा हेतु दाखिल कर रहे हैं। चूंकि प्रतिवादी इलाहाबाद में रहता है, इसलिए वह धोखाधड़ी से विवादित भवन में अपने अंश अर्थात् 1/4 से अधिक विक्रय करके उस पर क्रेता को काबिज व दखील कराकर इलाहाबाद से बाहर चला जाना चाहता है। विवादित मकान में 3/4 भाग वादीगण का तथा 1/4 भाग प्रतिवादी का है, जिसका आज तक कोई आपसी या अदालती बंटवारा नहीं हुआ है, और विवादित सम्पत्ति पूर्णरूप से एक रहायशी मकान है, जिसके किसी भाग का उपयोग व्यवसायिक तौर पर प्रयाग नहीं किया जाता है। प्रतिवादी को बिना मकान का वास्तविक बंटवारा कराये हुए अपना अविभाजित जुज भाग वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी को संक्रमणित करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी ने अपना अविभाजित जुज हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को विक्रय कर दिया, तो वादीगण को मकान के उपयोग-उपभोग में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और वादीगण को अधिकार है कि वे प्रतिवादी को ऐसा करने से तत्काल निषेधित करावें। प्रथम दृष्टया मामला वादी के हक में है, और यदि तत्काल प्रतिवादी के विरुद्ध अन्तरिम/अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जाता, तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, और मुकदमे का उद्देश्य विफल हो जावेगा।

प्रतिवादी द्वारा काउण्टर/उत्तर शपथपत्र कागज सं० 24ग के जरिये कथन किया गया है कि वादी सं० 1 व प्रतिवादी के पिता तपन भट्टाचार्या वादग्रस्त मकान के 1/2 भाग के स्वामी रहे, तथा उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यानि पक्षकारों की माता तथा वादी सं० 1 व प्रतिवादी संयुक्त रूप से अपने पति व पिता के 1/2 भाग के स्वामी हुए। माता दीपाली भट्टाचार्या का देहान्त दिनांक 26-11-2017 को होना स्वीकार है तथा वादी सं० 1 व प्रतिवादी का आधा-आधा भाग विवादित मकान के आधे भाग में हो गया। कथित वसीयतनामा दिनांक 12-09-2014 फर्जी तथा जालसाजी से बनाया गया है, और उसकी कोई सत्यता नहीं है, तथा उक्त वसीयतनामा फर्जी होने के कारण उसके द्वारा वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। स्व० तरुण कुमार भट्टाचार्या ने कोई वसीयत नहीं लिखा था, न ही कोई वसीयतनामा दिनांक 12-09-2014 को पंजीकृत ही कराया था। कथित वसीयतनामा फर्जी व बनावटी है। कथित वसीयतनामे के गवाह न तो उनकी बिरादरी के हैं, और न ही पास पड़ोस में रहने वाले हैं, जो सम्पूर्ण रूप से संदिग्ध हैं। उक्त मकान के अतिरिक्त प्रतिवादी के पास का कोई स्थान नहीं है। अतः बेचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वादीगण मकान के किसी भी भाग पर कब्जा में नहीं हैं, और उन्हें बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण का भवन निजाई के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी न तो तोड़-फोड़ कर रहा है, और न ही बेचने का प्रयास कर रहा है। प्रतिवादी सम्पूर्ण मकान में कब्जे में है। वादीगण भोपाल में रहते हैं, और वहां सम्पूर्ण मकान में कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी का—

काउण्टर क्लेम दाखिल है। वादीगण को कोई हक प्राप्त नहीं है, और प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग के समर्थन में सूची 9ग/1 के जरिये खसरा नगर निगम कागज सं0 9ग/2, वसीयतनामा दिनांकित 12-09-2014 की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0 9ग/3 लगायत 9ग/7 दाखिल किया गया है।

वादीगण के पक्ष में अस्थायी व्यादेश निर्गत करने हेतु वादीगण को निम्नलिखित तीन तत्वों को आवश्यक रूप से साबित करना होता है :-

- 1- प्रथम दृष्टया वाद।
- 2- सुविधा का सन्तुलन।
- 3- अपूरणीय क्षति।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 6ग मय शपथपत्र 7ग के माध्यम से कथन किया है कि विवादित मकान नम्बर-102 पुराना, जिसका नया नम्बर-127 है, में 3/4 अंश वरासतन एवं वसीयत द्वारा प्राप्त है, और प्रतिवादी का विवादित मकान में 1/4 अंश वरासतन अपने पिता तपन भट्टाचार्या द्वारा प्राप्त हुआ है, और उनका सम्पूर्ण मकान में 1/4 भाग रहा है। जबकि प्रतिवादी ने अपनी आपत्ति कागज सं0 24ग के माध्यम से कथन किया गया है कि वादीगण ने वसीयतनामा दिनांकित 12-09-2014 के आधार पर अपने को विवादित मकान का स्वामी होना बताया है, जो कि फर्जी एवं बनावटी है एवं वादीगण का विवादित मकान के किसी भाग पर कब्जा नहीं है, इसलिए उन्हें बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सम्पूर्ण मकान के कब्जे में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है।

चूंकि प्रस्तुत वाद बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है, एवं वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 6ग के माध्यम से कथन किया गया है कि जब तक वादीगण एवं प्रतिवादी का प्रस्तावित अंश का बंटवारा न कर दिया जाय, तब तक मौके की स्थिति एवं नर्वयत को कायम रखें। दौरान बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने कहा कि यदि यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि दोनों पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि मौके पर यथास्थिति कायम रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में न्यायालय का अभिमत है कि विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अपनी नजीरों में यह स्पष्टतः कहा है कि न्यायालय का यह सर्वप्रथम दायित्व है कि दौरान मुकदमा विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए उचित आदेश पारित करें। इस परिस्थिति में इस वाद में न्यायहित में यह समीचीन

प्रतीत होता है कि उभयपक्षों को विवादित सम्पत्ति पर दौरान मुकदमा यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेश पारित किया जाये।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों को आदेशित किया जाता है कि विवादित मकान नम्बर-102 पुराना, जिसका नया नम्बर-127 है, स्थित मोहल्ला आजाद स्क्वायर साउथ मलाका तहसील सदर, इलाहाबाद है, को दौरान मुकदमा विक्रय, तोड़-फोड़ भंजन अथवा निर्माण करने से वर्जित किया जाता है, एवं दौरान वाद उभयपक्ष मौके पर यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली वास्ते वादबिन्दु विरचन हेतु दिनांक 12-03-2020 को पेश हो।

दिनांक 20-02-2020

(रंजना सरोज)
सिविल जज (जू0डि0) गर्वी,
इलाहाबाद।